आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 50/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता– डी–505, मूतल, सर्वेदया एनक्लेव, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राम कुमार,
2. श्रीमती सुलोचना,
   पता:– बी–5, स्कीम नं. 12 बी, त्रिवेणी नगर, श्याम विहार, नींदड़ मोड़, हरमाड़ा, जयपुर
   एवं फ्लेट नं. एस–3, द्वितीय तल, प्लॉट नं. बी–61, रॉयल सिटी स्कीम, ब्लॉक बी, माचवा, कालवाड़ रोड़, जयपुर।
3. श्रीमती मनीषा मीणा,
   पता:– 38, पार्वती नगर, होटल जयश्री पैलेस, रोड़ नं. 14, वीकेआई, जयपुर
   एवं ग्राम लूनवा, तितरिया, पोस्ट नावां, नागौर
   एवं फ्लेट नं. एस–3, द्वितीय तल, प्लॉट नं. बी–61, रॉयल सिटी स्कीम, ब्लॉक बी, माचवा, कालवाड़ रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (ग्रामीण)

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.06.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री राम कुमार एवं सुश्री मनीषा मीणा पुत्री श्री रामकुमार मीणा के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. बी–61, रॉयल सिटी स्कीम, ब्लॉक बी, माचवा, कालवाड़ रोड़, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट नं. एस–3, क्षेत्रफल 900 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 12,60,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीमाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को राशि 12,60,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 13,37,934/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.08.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में श्रीमती सुलोचना पत्नी श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री राम कुमार एवं सुश्री मनीषा मीणा पुत्री श्री रामकुमार मीणा के स्वामित्व की बंधक सम्पति प्लॉट नं. बी–61, रॉयल सिटी स्कीम, ब्लॉक बी, माचवा, कालवाड़ रोड़, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट नं. एस–3, क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)